न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 38 / 2019

दायर दिनांकः 06.12.2019

निर्णय दिनांक 13.02.2020

—:अनवान:—

श्री मोहनलाल पिता अमरा जी जाति भील निवासी उण्डा खेत, गांव डिंगेला, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

———अपीलांट

—:बनाम:—

1. रूपलाल पिता मोहनलाल जी जाति भील निवासी नाथुवास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
2. केसर बाई पिता मोहनलाल जी जाति भील निवासी नाथुवास, नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा

———रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 668 स्वीकृत दिनांक 16.12.2010 पारित द्वारा तहसीलदार, नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

उपस्थितः—

1— श्री सुर्यप्रकाश सैन, अधिवक्ता अपीलांट

2— श्री अनुजीत मुखिया, अधिवक्ता रेस्पोडेण्टगण संख्या 01 व 02

3— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03

—::निर्णय::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा राजस्व ग्राम नाथुवास, पटवार हल्का नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा में अपीलांट द्वारा दिनांक 29.01.1987 को लखमा पिता अमरा भील, मन्ना पीता अमरा भील, रुपा, मेघा, मोती पिता लाला भील सभी निवासीयान गांव ड़िगेला, तहसील नाथद्वारा से आराजी संख्या 1116 रकबा 0—05, आराजी संख्या 1125 रकबा 0—04, आराजी संख्या 1126 रकबा 0—04 कुल किता 3 कुल रकबा 13 बिस्वा क्रय कर पंजियन करवा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर नामान्तरण दर्ज करवा, उपयोग उपभोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा धमकी दी की उक्त कृषि भूमिया मेरी है और तुम इसे खाली कर दो। तब अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमियों की वर्तमान खाता नकल निकलवाई और राजस्व रेकार्ड की

जॉच करने पर पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर अपीलान्ट का वारिस बन गलत व फर्जीवाडा कर अपीलान्ट की कृषि भूमियॉ दिनांक 16.12.2010 को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर नामान्तरण करवा दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील प्रस्तुत की हैं।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टगण को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता अनुजीत मुखिया ने उपस्थिति दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मे शुमार किया जाता है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि राजस्व ग्राम नाथुवास, पटवार हल्का नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा में अपीलांट द्वारा दिनांक 29.01.1987 को लखमा पिता अमरा भील, मन्ना पीता अमरा भील, रुपा, मेघा, मोती पिता लाला भील सभी निवासीयान गांव ड़िगेला, तहसील नाथद्वारा से आराजी संख्या 1116 रकबा 0–05, आराजी संख्या 1125 रकबा 0–04, आराजी संख्या 1126 रकबा 0–04 कुल किता 3 कुल रकबा 13 बिस्वा क्रय कर पंजियन करवा राजस्व रेकर्ड में अपने नाम पर नामान्तरण दर्ज करवा, उपयोग उपभोग अपीलांट द्वारा किया जा रहा है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा धमकी दी की उक्त कृषि भूमिया मेरी है और तुम इसे खाली कर दो। तब अपीलान्ट ने उक्त कृषि भूमियों की वर्तमान खाता नकल निकलवाई और राजस्व रेकार्ड की जॉच करने पर पाया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर अपीलान्ट का वारिस बन गलत व फर्जीवाडा कर अपीलान्ट की कृषि भूमियॉ दिनांक 16.12.2010 को राजस्व रेकार्ड में अपने नाम पर नामान्तरण करवा दिया। जो विधि विरूद्ध है और अपास्त होने योग्य हैं।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता द्वारा भी लिखित में उक्त नामान्तरण निरस्त करने एवं अपीलार्थी के नाम पर भूमि दर्ज करने की लिखीत सहमती प्रस्तुत की हैं।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया तथा अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा आपसी राजीनामा पेश किया गया। हालाकि प्रस्तुत राजीनामे को तस्दीक कराने हेतु पक्षकारान उपस्थित नही हुए हैं। लेकिन पक्षकरान की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के प्रार्थना पत्र अनुसार दोनो पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उक्त राजीनामा पक्षकारान के मध्य होने की सहमती दी गई हैं। तथा इसी अनुसार पक्षकारान की अपील का निस्तारण करने के लिए भी अधिवक्ताओं ने सहमती दी हैं। अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण 668 दिनांक 16.12.2010 की स्वीकृति को चुनौती दी गई हैं। उक्त नामान्तरण में मोहन पिता अमरा भील की नाथूवास में स्थित खाता संख्या 136 कुल किता 02 रकबा 13 बिस्वा एवं खाता संख्या 214 कुल किता 03 कुल रकबा 13 बिस्वा भूमि के विरासत के नामान्तरण को चुनौती दि गई हैं। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में केवल 03 आराजी के रकबा 13 बिस्वा को ही इस अपील में प्रश्न चिन्ह किया गया हैं। तथा अपीलार्थी द्वारा यह

स्थिति भी स्पष्ट नही की जा सकी है कि शेष 13 बिस्वा भूमि की स्थिति क्या रहेगी जबकि राजीनामे में उक्त नामान्तरण निरस्त करने एवं उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम पर पुनः दर्ज करने की सहमती दी गई हैं। उक्त मामले में अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि खरीदशुदा होना बताया हैं। तथा इसकी पुष्टि स्वरूप विक्रय पत्र प्रस्तुत किया हैं। अतः ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा यदि उक्त वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य को बेचान नही किया हो तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में विधिक उत्तराधिकारी की जांच कर नये सिरे से उत्तराधिकारी के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने का निर्णय दिया जाता हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 668 दिनांक 16. 12.2010 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार, नाथद्वारा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अपीलार्थी द्वारा यदि उक्त वादग्रस्त भूमि का किसी अन्य को बेचान नही किया हो तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये आक्षेपित नामान्तरण को निरस्त किया जाकर प्रकरण में विधिक उत्तराधिकारी की जांच कर नये सिरे से उत्तराधिकारी के नाम पर नियमानुसार नामान्तरकरण फैसल किये जाने का निर्णय दिया जाता हैं।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द